प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां
(अप्रैल, 2018)

*****

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां

1. विदेशी चिकित्सा संस्थान विनियम 2002 और स्क्रिनिंग जांच विनियम, 2002 में स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्हता संबंधी अपेक्षा में परिवर्तन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि भारत के बाहर अथवा मई, 2018 के उपरांत किसी भी चिकित्सीय संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने का इच्छुक किसी भी भारतीय नागरिक / भारत के विदेशों में रह रहे नागरिकों को अनिवार्य रूप से एनईईटी में अर्हक होना पड़ेगा। एनईईटी के परिणाम को ऐसे व्यक्तियों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र के रूप में माना जाएगा।
2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (चिकित्सा कॉलेजों / संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं प्रतिषेध) विनियम, 2009 में संशोधन किया गया है, जिसमें रैगिंग की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है।
3. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में प्रावधान करने हेतु संशोधन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमत्य स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सीटें मान्यता प्राप्त हों; निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर वित्तीय जुर्माने सहित विभिन्न शास्तियां लगाने हेतु; एमबीबीएस बैचों के तीसरे और चौथे नवीकरण के समय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु कॉलेजों को अनुमति प्रदान करने हेतु; गैर-सरकारी चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों में अध्यापक-छात्र अनुपात को संशोधित किया गया है; दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यागों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों का 5% आरक्षण; सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सेवारत सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए 50% सीटों के आरक्षण का लाभ उन सरकारी चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया है, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान की है;

   स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में प्रावधान करने हेतु संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमत्य स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सीटों को मान्यता प्राप्त हो और निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर वित्तीय जुर्माने सहित विभिन्न शास्तियां लगाने हेतु प्रावधान किए जा सकें; एमबीबीएस बैचों के तीसरे और चौथे नवीकरण के समय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु कॉलेजों को अनुमति प्रदान की गई है; अध्यापक-छात्र अनुपात की शिथिलता का गैर-सरकारी चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों तक विस्तार किया गया है। इससे देश में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि होगी। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप दिव्यागों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों का 5% आरक्षण भी किया गया है।

   राज्यों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवारत डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन अंकों की सीमा का निर्णय लेने हेतु छूट दी गई है – 'अधिकतम 30% के अध्याधीन ग्रामीण क्षेत्रों अथवा दूरस्थ और / अथवा दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एनईईटी – पीजी में प्राप्तांकों के 10%।'

   स्नातकोत्तर प्रवेश में काउंसिलिंग के दौरान सीटों को ब्लॉक करने से रोकने के लिए एक मैट्रिक्स तैयार की गई है।
4. एमसीआई की सिफारिशों पर मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए स्नातकोत्तर में 4 सीटों (व्यापक स्पेश्यिलिटी) की वृद्धि के लिए अनुमति पत्र जारी किया है।
5. 13 एमबीबीएस कॉलेजों के संबंध में मान्यता हेतु अधिसूचना / पत्र जारी किए गए।
6. 1 एमबीबीएस कॉलेज के संबंध में अनुमति के नवीनीकरण के लिए पत्र जारी किया गया।
7. 'जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संबद्ध नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना' की केंद्र प्रायोजित स्कीम के चरण-II के अंतर्गत राज्यों में नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
8. शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए एक दंत चिकित्सा कॉलेज के संबंध में बीडीएस पाठ्यक्रम में सीटों को 40 से 50 तक बढ़ाने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया गया है।
9. औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 10क के अंतर्गत भारत में किसी भी रूप / नाम से ऑक्सीटॉसीन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

10. घरेलू प्रयोग हेतु ऑक्सीटॉसीन के फॉर्मूलेशनों के उत्पादन को केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित करके तथा मानव सेवन के लिए ऑक्सीटॉसीन के फॉर्मूलेशनों की आपूर्ति खुदरा दवा विक्रेताओं की बजाय केवल सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में पंजीकृत अस्पतालों एवं क्लिनिकों तक सीमित करके ऑक्सीटॉसीन औषध के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है।
11. स्वास्थ्य परिचर्या और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और तिमोर-लेस्टे के बीच 07 अप्रैल, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
12. स्वास्थ्य परिचर्या और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और स्वाजीलैण्ड के बीच 09 अप्रैल, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
13. नार्वे भारत भागीदारी पहल (एनआईपीआई-III) की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करने हेतु दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा महामहिम श्री निल्स रागनर कामस्वांग, राजदूत, नार्वे के बीच में एक बैठक हुई।
14. विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करने हेतु अपर सचिव (एएस) तथा डॉ. कृष वल्लभजी, मुख्य निदेशक, नीति तथा कार्यनीति, वेस्टर्न केप सरकार, दक्षिण अफ्रीका के बीच एक बैठक हुई।
15. दिनांक 3-6 अप्रैल, 2018 को जेनेवा, स्विटजरलैंड में सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता में एक भारतीय शिष्टमंडल द्वारा एफसीटीसी बैठक के तीसरे पक्षकार सम्मेलन (सीओपी) में भाग लिया।
16. संयुक्त सचिव (जीएम) ने दिनांक 7 अप्रैल, 2018 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 70वें विश्व स्वास्थ्य दिवस समारोह में भाग लिया।
17. मंत्रिमंडल ने दिनांक 21.03.2018 की अपनी बैठक में वर्ष 2018-19 में आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन [अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन (पीएमआरएसएसएम)] को आरंभ करने की मंजूरी दी है, जिसके द्वारा लगभग 10 करोड़ निर्धन तथा उपेक्षित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को कवर करने हेतु द्वितीय तथा तृतीयक स्तरीय परिचर्या हेतु प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रु. तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। पीएमआरएसएसएम के आरंभ होने के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इसमें शामिल किया जाएगा।
18. मंत्रालय ने सीजीएचएस आरोग्य केंद्र के तहत सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के सीमाकंन संबंधी स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
19. गहन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 15 अप्रैल 2018 तक लगभग 59.49 लाख बच्चों और 11.86 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।
20. मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को आयोजित समारोह में कालाकल्प पुरस्कार दिए गए। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री अश्वनी कुमार चौबे तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कड़े मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा घोषित विभिन्न विजेता अस्पतालों को पुरस्कार वितरित किए गए।
21. खसरा-रूबेला (एमआर) अभियान के तहत दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को लगभग 7.80 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया।
22. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में आरएमएल अस्पताल की स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में सफल होने वाले स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के विद्यार्थियों को माननीय उप-राष्ट्रपति श्री वैंकया नायडू द्वारा प्रमाण-पत्र दिए गए।
23. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित सफदरजंग अस्पताल की 25वीं प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा, उपस्थित थे।

24. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, अप्रैल, 2018 में लगभग 1,37,560 मोतियाबिंद सर्जरी की गई तथा स्कूली बच्चों को 1,676 चश्में नि:शुल्क बांटे गए तथा 658 दान किए गए नेत्र एकत्र किए गए।

******